10रु. COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(58)

न्यायालय राजस्व मण्डल म. प्र. ग्वालियर
नि/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3252

प्र. क्र. /

दिनांक 11-9-17 को श्री रामसेवक शर्मा अभि. द्वारा प्रस्तुत। 11-9-17

अनीसा उर्फ इद्दी बाई बेवा रहीम खान
उम्र 35 वर्ष, धंधा खेती, निवासी
ग्राम बुरारन तह. राजनगर जिला छतरपुर
म.प्र. --- आवेदिका

बनाम

1. गौरी सनागो पत्नी श्री रूद्रतेज सनागो
2. सुनीता पत्नी दुर्गा अहिरवार
3. नीति सिंह, 4. रूचिर सनागो
5. भगवान दास तनय खिलैया अहिरवार
6. बाबूलाल तनय हल्काई, समस्त निवासीगण
ग्राम बौता तह. छतरपुर जिला छतरपुर म.प्र.

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 क नये संशोधन अधि. 2011 म.प्र.भू.रा.स. 1959 विरूद्ध आदेश दि. 4.11.16 द्वारा पारित न्यायालय तहसीलदार चन्द्रनगर (छतरपुर) प्र. क्र. 11/अ 12 + अ 12 2016 - 17 के निर्णय से दुखी होकर

14.09.17

श्रीमान जी,

हम आवेदिका की निगरानी निम्न तथ्यों पर आधारित हैः-

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

1. यह कि, आवेदिका सर्वे न. 1446/1 व 1447/1 तथा 1448/1 रकबा क्रमशः 2.995, 6.811, 1.214, की भूमि स्वामी सामिल

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3252 अनीसा विरूद्ध गौरी

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-10-2018 22.x.18	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अनीसा की ओर से अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा एवं अनावेदक क्रमांक 1 की ओर से अभिभाषक श्री अनुराग व्यास उपस्थित । 2. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार चंद्रनगर के सीमांकन आदेश दिनांक 04-11-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । प्रकरण में कायमी पर निर्णय लिया जाना है । 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 4. पूर्व में प्रस्तुत निगरानी में सुविधा का संतुलन आवेदक के पक्ष में होने के कारण स्थगन दिया गया था । प्रकरण की वर्तमान स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए आवदेक को अपूर्णनीय छति न हो इसलिये पूर्व में जारी स्थगन को दिनांक 18-12-2018 तक निरंतर रखते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 18-12-2018 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 22.x.18 सदस्य	